उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN : U32201UP1999SGC024928

सं0–1270–ज0श0, प्र0सु0 एवं प्रशि0–01/पाकालि/2024–15(02)–ज0श0 प्र0सु0 एवं प्रशि0/2022 दिनाँक 23.07.2024

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं सहयोगी वितरण निगमों तथा उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 में कार्यरत कार्मिकों को विभिन्न वाह्य संस्थानों/विभागों में प्रतिनियुक्ति पर तैनाती किये जाने हेतु प्राविधान/प्रक्रिया का निर्धारण एतत्द्वारा निम्नवत निर्धारित किया जाता है :–

1. प्रतिनियुक्ति हेतु वाह्य संस्थान/विभाग से प्राप्त होने वाले पत्रों के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अनुमोदन के उपरान्त उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/समस्त डिस्काम /उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 को परिपत्र (Circular) परिचालित किया जाएगा। इस हेतु इच्छुक कार्मिकों के आवेदन प्राप्त किये जाएगे, प्राप्त आवेदनों के आधार पर इच्छुक कार्मिकों की एक सूची तैयार की जायेगी।
2. कार्मिकों के आवेदन पत्रों को डिस्कॉम/ट्रांस्को के स्तर पर सम्बन्धित कार्मिक के विरूद्ध प्रचलित/लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही, सतर्कता जॉच व अन्य लम्बित प्रकरण यदि कोई हो, की अद्यतन स्थिति के साथ सम्बन्धित डिस्काम/ट्रांस्को के निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) के माध्यम से उ0प्र0पा0का0लि0 (मु0) को अग्रसारित किया जाएगा। उ0प्र0पा0का0लि0(मु0) में कार्यरत कार्मिकों के आवेदन पत्रों को सम्बन्धित निदेशक के माध्यम से अग्रसारित किया जाएगा।
3. कार्मिकों द्वारा प्रतिनियुक्ति हेतु वाह्य संस्थानों/विभागों में सीधे आवेदन नहीं किया जाएगा। जिन कार्मिकों द्वारा सीधे आवेदन किया जाएगा उनके प्रकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. वही कार्मिक प्रतिनियुक्ति हेतु अर्ह होंगे जिनके द्वारा विभाग में नियुक्ति के पश्चात कम से कम 05 (पांच) वर्षो की सेवा पूर्ण कर लिया गया हो (प्रशिक्षण–काल, यदि कोई हो, को छोड़कर) तथा जिनकी आयु 55 वर्ष से अधिक न हो।
5. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 (मुख्यालय) स्तर पर कार्मिक के विरूद्ध निम्नलिखित के सम्बन्ध में पुष्टि की जाएगी :–
   i. कार्मिक की सामान्य ख्याति कैसी है।
   ii. कार्मिक के विगत 05 वर्षों की गोपनीय आख्या (ACR) का स्कोर (Score) कितनी है।
   iii. कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही/सतर्कता जाँच प्रचलित है, अथवा नही।
   iv. कार्मिक की प्रोन्नति किसी कारण से रोकी तो नहीं गयी है।
6. उ0प्र0पा0का0लि0 के स्तर पर अर्ह कार्मिकों का साक्षात्कार भी लिया जा सकता है। तदुपरान्त प्रतिनियुक्ति हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाएगा।

क्रमशः–02

7. प्रतिनियुक्ति पर तैनाती पूर्ण सेवा काल में मात्र 01 बार ही होगी एवं इसकी अवधि सामान्यतः 03 वर्ष की होगी। जिसको विशिष्ट परिस्थितियों में पूर्वानुमोदनोपरान्त 02 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है किन्तु 05 वर्ष के उपरान्त किसी भी दशा में प्रतिनियुक्ति अवधि को बढ़ाया नहीं जाएगा।

8. कार्मिकों की प्रतिनुियक्ति अवधि समाप्त होते ही उनके द्वारा अपने पैतृक विभाग में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित किया जाएगा। जिन कार्मिकों द्वारा कारपोरेशन में प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति पर स्वतः कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाएगा, उनके लिए यह माना जायेगा कि वे उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में आने के इच्छुक नहीं हैं तथा इस आधार पर उनका उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में धारणाधिकार (Lien) समाप्त कर दिया जायेगा तथा deemed resignation समझा जाएगा।

निदेशक मण्डल

संख्या–1270–ज0श0 प्र0सु0 एवं प्रशि0–01/पाकालि/2024, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को कानपुर।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0/वित्त/वाणिज्य/कारपोरेट प्लानिंग/आई0टी0/वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. महानिदेशक (मा0स0 एवं विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
10. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
11. महाप्रबन्धक (औ0सं0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. अधीक्षण अभियन्ता (आई0टी0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को कारपोरेशन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(सदानन्द)
संयुक्त सचिव (ज0श0, प्रशि0 एवं कार्य)